



No. CWC CO-PD0RECT/215/2020-PERSONNEL

Date: 01.10.2021

CIRCULAR

Sub: Age Criteria for Engagement of Consultants

Several queries have been received at Corporate Office seeking further clarification on the age limit for initial engagement of retired CWC employees and outside experts from other Government departments or PSUs as Advisors/Consultants in the Corporation.

In this regard, it is to clarify that the qualifying age limit of 62 years for initial engagement as Advisor/Consultant has already been done away with. Further, instruction issued vide circular No. CWC/I-Consultant/Policy/2019-20/12907 dated 03 Dec 2019 i.e. *Consultant/Advisor shall be engaged initially for One (01) year and the tenure could be extended on yearly basis as per the need till the age of 65 years*, also to be followed while engaging an Advisor or Consultant.

(Debapati Saha Chowdhury)
Asst. General Manager (Rectt.)

To:

1. All HODs, CWC, CO, New Delhi - for information.
2. All Regional Managers - for information.
3. PS to MD/ PS to Director (Pers)/PS to Director (M&CP), CWC, CO, New Delhi - for information.



No. CWC CO-PDORECT/215/2020-PERSONNEL

Date: 01.10.2021

परिपत्र

विषय: सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आयु मापदंड

निगम में सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सीडब्ल्यूसी कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर चुके बाहरी विशेषज्ञों की प्रारंभिक नियुक्ति के लिए आयु सीमा पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए निगमित कार्यालय में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के लिए 62 वर्ष की अर्हक आयु सीमा को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। तथापि, परिपत्र संख्या CWC/I-Consultant/Policy/2019-20/12907 दिनांक 03 दिसंबर 2019 के माध्यम से जारी निर्देश अर्थात् सलाहकार/परामर्शदाता को प्रारंभ में एक (01) वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और कार्यकाल को वार्षिक आधार पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। 65 वर्ष की आयु तक की आवश्यकता, सलाहकार या परामर्शदाता को नियुक्त करते समय भी पालन किया जाना चाहिए।

(देबपति साहा चौधरी)
सहायक महाप्रबंधक (भर्ती)

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के सूचना हेतु।
2. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय के सूचना हेतु।
3. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव / निदेशक (कार्मिक) के निजी सचिव / निदेशक (एम एवं सी पी) के निजी सचिव निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के सूचना हेतु।